राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा

जबकि, 31 अगस्त, 2022 को, न के बराबर या बिना किसी सूचना के, इलिनॉय राज्य और शिकागो शहर ने टेक्सास राज्य द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में शरण मांगने वाले मध्य और दक्षिण अमेरिका के परिवारों तथा व्यक्तियों को लेकर आने वाली पहली बसों के पहुंचने पर उनका स्वागत किया; तथा,

जबकि, 31 अगस्त, 2022 और 31 मार्च, 2023 के बीच, शरण चाहने वाले कई परिवार और व्यक्ति, जिनकी कुल संख्या 3,700 से अधिक है, वे बिना किसी सूचना के या नगण्य सूचना के टेक्सास से शिकागो पहुंचे हैं; और,

जबकि, यह उम्मीद की जाती है कि शरण चाहने वाले व्यक्तियों और परिवारों को सरकारी संस्थाओं द्वारा**,** बड़े समूहों में**,** टेक्सास से इलिनॉय और संभावित रूप से अन्य राज्यों में ले जाया जाता रहेगा**;** और**,**

जबकि**,** इलिनॉय एक स्वागत करने वाला राज्य है, जो लंबे समय से बढ़ते अप्रवासियों के समुदाय से समृद्ध और संपन्न रहा है और 1975 से जिसने 60 से अधिक देशों के 125,000 से अधिक शरणार्थियों को बसाया है; और,

जबकि, शिकागो शहर और अन्य स्थानीय सरकारों के साथ निकट समन्वय स्थापित कर राज्य एजेंसियां, यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य करना जारी रखे हुए हैं, कि यहां पहुंचने वाले व्यक्तियों और परिवारों को, उनके कुशल-मंगल और इलिनॉय राज्य और उसके निवासियों के समग्र कुशल-मंगल, दोनों की सुरक्षा के लिए आवश्यक सहायता प्राप्त हो; और,

जबकि, इलिनॉय में आने वाले शरण चाहने वाले परिवारों और लोगों को विशिष्ट और तत्काल सहायता की आवश्यकता है, जिसमें आपातकालीन आश्रय और आवास; भोजन; स्वास्थ्य जांच, चिकित्सा जांच और उपचार; महत्वपूर्ण सेवाओं (कानूनी सेवाओं और नौकरी के लिए त्वरित सहायता सहित) तक पहुँचने में उनकी सहायता करने के लिए केस प्रबंधन सेवाएँ और लाभ (संभावित रूप से महिलाओं के खिलाफ हिंसा अधिनियम, और/या अपराध के शिकार अधिनियम के तहत, अवैध व्यापार, यातना और अन्य गंभीर अपराधों (VTTC) के पीड़ितों को लाभ सहित); पब्लिक स्कूलों में नामांकन; और लंबी अवधि के आवास और आवास सहायता शामिल हैं; और,

जबकि, चूंकि ये परिवार और लोग अपने घरों से बहुत लंबी और कठिन यात्रा करते हुए आ रहे हैं, उनमें से कई को चिकित्सा देखभाल की भी आवश्यकता होती है, जिनमें गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव से पूर्व देखभाल; बच्चों में कुपोषण, डिहाइड्रेशन और अस्थमा के लिए उपचार; पैर की चोट और घाव की देखभाल; टीकाकरण; और पुरानी स्वास्थ्य स्थिति का प्रबंधन भी शामिल हैं। इलिनॉय आने वाले कई वयस्कों,

बच्चों और शिशुओं का मानसिक स्वास्थ्य अवलोकन और उनकी यात्रा के दौरान अनुभव किए गए आघात से उबरने के लिए देखभाल की भी आवश्यकता होती है; और,

जबकि, इलिनॉय राज्य और संपूर्ण राज्य में कई स्थानीय सरकारें नियमित रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश या शरण चाहने वाले परिवारों और लोगों के साथ-साथ अतिसंवेदनशील आबादी की जरूरतों को पूरा करने हेतु पर्याप्त क्षमता सुनिश्चित करने के लिए योजना बनाने में पूरी तरह से व्यस्त हैं; और,

जबकि, शरण चाहने वाले परिवार और व्यक्ति बिना किसी अग्रिम सूचना के इलिनॉय में आ रहे हैं, जैसे कि वे कब आएंगे और उनका इलिनॉय राज्य या शिकागो शहर के साथ कोई समन्वय नहीं है, जिससे इस उद्घोषणा की आवश्यकता हो रही है; और,

जबकि, आज तक, इलिनॉय राज्य और स्थानीय सरकारों ने गैर-सरकारी संगठनों तथा स्वयंसेवकों के साथ घनिष्ट समन्वय स्थापित करके शरण चाहने वाले परिवारों और लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम किया है; और,

जबकि, इन कमजोर परिवारों और व्यक्तियों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए सभी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने की वर्तमान सामान्य क्षमता पार हो गयी है और वर्तमान शरण चाहने वाले परिवारों और व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक क्षमता में वृद्धि को बनाए रखने के लिए तत्काल और निरंतर कदम उठाने की आवश्यकता है; और,

जबकि, तत्काल और लगातार कार्रवाई के बिना, शरण चाहने वाले परिवारों और लोगों के लिए अल्पकालिक और मध्यवर्ती एवं लंबी अवधि के आश्रय और आवास; उन्हें समावेशित करने वाली सेवाएं जैसे कि भोजन, स्वास्थ्य देखभाल, कानूनी सेवाएँ, और रोजगार के लिए त्वरित सहायता; अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंचने में सहायता करने के लिए केस प्रबंधन कर्मचारी; और इन सेवाओं को प्रदान करने के लिए सभी स्तरों पर आवश्यक परिचालन के लिए स्टाफिंग; सहित महत्वपूर्ण सेवाओं में क्षमता की कमी हो जाएगी; और,

जबकि, आपातकालीन आश्रय और आवास क्षमता के साथ-साथ कर्मचारियों और सेवाओं के लिए तेजी से बढ़ती जरूरतों को पूरा करते रहने, और पूरे इलिनॉय में शरण चाहने वाले परिवारों और लोगों तथा समुदायों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कुशल-मंगल को किसी जोखिम से बचाते रहने के लिए, राज्य को राज्यपाल की आपातकालीन शक्तियों के उपयोग की आवश्यकता वाली अनुबंधित सहायता को तत्काल प्राप्त करना चाहिए; और,

जबकि, मौजूदा इलिनॉय निवासियों के लिए महत्वपूर्ण सेवाएं बाधित न हों, यह सुनिश्चित करते हुए इस विकसित होती स्थिति को संभालने के लिए आवश्यक अंतर-एजेंसी और अंतर-सरकारी प्रयासों हेतु लगातार स्टाफ की व्यवस्था करने के लिए आपातकालीन कदम उठाने आवश्यक है; और,

जबकि, वर्तमान स्थिति की परिस्थितियाँ इन कमजोर परिवारों और व्यक्तियों और राज्य के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के लिए खतरे को जन्म देती हैं, इस कारण इसमें तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है, और इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम की धारा 4 के अनुसार यह आपदा की स्थिति है, और इस कारण इसका सामना करने के लिए राज्य द्वारा आपातकालीन कार्रवाई की आवश्यकता है; और,

जबकि, 14 सितंबर, 2022 को, इन परिस्थितियों के कारण स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण पर खतरे को देखते हुए, मैंने इलिनॉय राज्य में सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया; और,

जबकि, 13 अक्तूबर, 2022 को, इन परिस्थितियों की वजह से स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा कल्याण पर लगातार खतरे के कारण मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया; और,

जबकि, 10 नवंबर, 2022 को, इन परिस्थितियों की वजह से स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा कल्याण पर लगातार खतरे के कारण मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया; और,

जबकि, 8 दिसंबर, 2022 को, इन परिस्थितियों की वजह से स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा कल्याण पर लगातार खतरे के कारण मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया; और,

जबकि, 6 जनवरी, 2023 को, इन परिस्थितियों की वजह से स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा कल्याण पर लगातार खतरे के कारण मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया; और,

जबकि, 3 फ़रवरी, 2023 को, इन परिस्थितियों की वजह से स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा कल्याण पर लगातार खतरे के कारण मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया; और,

जबकि, 3 मार्च, 2023 को, इन परिस्थितियों के कारण स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा कल्याण पर लगातार खतरे के कारण मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया; और,

जबकि, इलिनॉय राज्य की यह नीति है कि राज्य किसी भी आपदा को संभालने के लिए तैयार रहेगा और, इसीलिए, लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त राज्य संसाधन उपलब्ध कराना आवश्यक व उपयुक्त है; और,

जबकि, ये स्थितियां इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अधिनियम (इलिनॉय इमरजेंसी मैनेजमेंट एक्ट) के अनुभाग 7 के अंतर्गत आपदा की उद्घोषणा जारी करने का विधिक औचित्य प्रदान करती हैं; और,

जबकि, इलिनॉय का संविधान, अनुच्छेद V के, अनुभाग 8 में, यह कहता है कि "राज्यपाल के पास सर्वोच्च कार्यकारी शक्ति होगी, और वह कानूनों के न्यायसंगत निष्पादन के लिए जिम्मेदार होगा," और प्रस्तावना में कहता है कि, इलिनॉय के संविधान का केंद्रीय उद्देश्य "लोगों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के लिए कार्य करना" है;

अब, **अतः**, इलिनॉय के लोगों और लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण हेतु उत्तरदायी स्थानीय शासन की सहायता के लिए, मैं, जे बी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), इलिनॉय का राज्यपाल (गवर्नर), एतद्द्वारा निम्नवत उद्घोषणा करता हूं:

अनुभाग 1: इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (इलिनॉय इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी एक्ट) के 20 ILCS 3305/7 के अनुभाग 7 के प्रावधानों के अनुसरण में, मैं यह पाता हूं कि इलिनॉय राज्य के भीतर आपदा मौजूद है और राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित करता हूं। यह उद्घोषणा, इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम, 20 ILCS 3305/7 के अनुभाग 7 में प्रदत्त समस्त आपातकालीन शक्तियों, जिनमें नीचे वर्णित विशिष्ट आपातकालीन शक्तियां शामिल हैं पर उन्हीं तक सीमित नहीं हैं, के इस्तेमाल के प्राधिकार की अनुमति देती है।

अनुभाग 2. प्रमुख एजेंसी के रूप में सेवारत इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन सर्विसेज के साथ, राज्य के सभी निम्न अभिकरणों (एजेंसियों) को वर्तमान स्थिति के प्रभावों का जवाब देने के लिए रणनीतियों और योजनाओं के विकास और कार्यान्वयन के संबंध में, इलिनॉय में आ रहे शरण चाहने वालों की जरूरतों को पूरा करने सहित राज्यपाल के साथ-साथ अन्य राज्य एजेंसियों, स्थानीय अधिकारियों और इलिनॉय स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन के साथ सहयोग जारी रखने और एक दूसरे के साथ समन्वय जारी रखने के लिए निर्देशित किया जाता है: इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन सर्विसेज (जिसमें शरणार्थी और अप्रवासी सेवाओं का ब्यूरो है और जो राज्य शरणार्थी समन्वयक और राज्य मुख्य बेघर अधिकारी नियुक्त करता है); इलिनॉय लोक स्वास्थ्य विभाग (जो राज्य शरणार्थी स्वास्थ्य समन्वयक को नियुक्त करता है); इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी; और इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थकेयर एंड फैमिली सर्विसेज।

अनुभाग 3. इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण (इलिनॉय इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी) को राज्य आपातकालीन संचालन योजना को लागू करने और आपदा प्रतिक्रिया और बहाली कार्यों में राज्य की संस्थाओं और स्थानीय सरकारों का समर्थन करने के लिए राज्य के संसाधनों से समन्वय करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

अनुभाग 4. प्रतिक्रिया हेतु आवश्यक आपातकालीन खरीद, और इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम द्वारा यथा अधिकृत अन्य आपातकालीन शक्तियों के संबंध में सहायता प्रदान करने के लिए, इलिनॉय अधिप्राप्ति संहिता (प्रोक्योरमेंट कोड) के वे उपबंध जो आपदा का सामना करने में आवश्यक कार्रवाई को किसी भी प्रकार से रोकते, बाधित करते, या विलंबित करते हों, उस सीमा तक स्थगित किए जाते हैं जिस सीमा तक वे संघीय कानून द्वारा आवश्यक नहीं किए गए हैं। प्रतिक्रिया हेतु आवश्यक अनुदान देने, और इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम द्वारा अधिकृत अन्य आपातकालीन शक्तियां, जवाबदेही और अनुदान जवाबदेही और पारदर्शिता अधिनियम और इसे लागू करने वाले इलिनॉय प्रशासनिक संहिता (एडमिनिस्ट्रेटिव कोड) के प्रावधान जिसके लिए राज्य एजेंसियों को फंडिंग अवसर (NOFO) की सूचना प्रकाशित करने और योग्यता आधारित आवेदन समीक्षा करने की आवश्यकता होती है और जो आपदा का सामना करने में आवश्यक कार्रवाई को किसी भी प्रकार से रोकते, बाधित करते, या विलंबित करते हों, उस सीमा तक स्थगित किए जाते हैं जिस सीमा तक कि वे संघीय कानून के लिए आवश्यक नहीं हैं। अनुदान जवाबदेही और पारदर्शिता अधिनियम के शेष प्रावधान प्रभावी रहेंगे। यदि आवश्यक हो तो, और इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम, 20, ILCS 3305/7(1) का अनुभाग 7(1) के अनुसरण में, राज्यपाल (गवर्नर) अतिरिक्त संविधियों, आदेशों, नियमों, और विनियमों को स्थगित करने के लिए उपयुक्त सरकारी कार्रवाई कर सकते हैं।

अनुभाग 5. इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम, 20, ILCS 3305/7(3) के अनुभाग 7(3) के अनुसरण में, यह उद्‌घोषणा राज्यपाल (गवर्नर) के, आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रमों को निष्पादित या सुगमित करने के उद्देश्य से राज्य के विभागों और उनके अभिकरणों या इकाइयों के निर्देश, कार्मिकों या कार्यों को स्थानांतरित करने के प्राधिकार को, आवश्यकतानुसार, सक्रिय करती है।

अनुभाग 6. इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम, 20, ILCS 3305/7(10) के अनुभाग 7(10) के अनुसरण में, यह उद्‌घोषणा अस्थायी आपातकालीन आवास की उपलब्धता और उपयोग के लिए प्रावधान करने के लिए, आवश्यकतानुसार, राज्यपाल (गवर्नर) के अधिकार को सक्रिय करती है।

अनुभाग 7: यह उद्‌घोषणा संघीय आपदा सहायता के अनुरोधों को सुगम बना सकती है, बशर्ते कि क्षति का पूर्ण व व्यापक आकलन यह इंगित करे कि प्रभावी बहाली राज्य और प्रभावित स्थानीय सरकारों की क्षमताओं से परे है।

अनुभाग 8. यह उद्‌घोषणा तत्काल प्रभावी होगी और 30 दिनों तक प्रभावी रहेगी।

____
जे.बी. प्रिट्ज़कर (JB Pritzker)
राज्यपाल (गवर्नर)

दिनांक: 31 मार्च, 2023